प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं 370/2022 दिनांक 20.09.2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें ..... 7.....
(2) अधिनियम..... धारायें .....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 375 समय 5.40 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 19.09.2022, समय 6.37 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 19.09.2022, समय 1.30 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर 25 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता–उप पंजीयन कार्यालय निवाई जिला टोंक...बीट सं....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री जितेन्द्र कुमार बाकोलिया पुत्र श्री सुरजमल वर्मा उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नम्बर ए–90, सुभाष कॉलोनी झिलाई रोड़ निवाई, जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– वकील ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री सुखदेव मीणा उम्र 32 साल निवासी लाड़पुरा कॉलोनी टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) उप पंजीयक कार्यालय निवाई जिला टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 11,500/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 11,500/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं जितेन्द्र कुमार बाकोलिया पुत्र श्री सुरजमल वर्मा उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नम्बर ए–90, सुभाष कॉलोनी झिलाई रोड़ निवाई, जिला टोंक का निवासी हुँ। मैनें एलएलबी कर रखी है तथा वर्तमान में उप पंजीयक निवाई में राजस्व से सम्बन्धित मामले देखता हुं। मैं जमीन के क्रेता व विक्रेता के मध्य सांमजस्य बैठाकर उनकी रजिस्ट्री करवाने में मैं उनकी मदद करता हुं।

श्री सुनील कुमार शर्मा निवासी हनुमान नगर निवाई ने श्री दयाराम जाट निवासी हनुमान नगर निवाई से हनुमान नगर में ही स्थित एक मकान 30 लाख रूपये में मेरे मार्फत खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। जिस पर करीब 5–6 दिन पूर्व विक्रेता व क्रेता दोनों पार्टियों को बुलाकर रजिस्ट्री करवा दी थी। रजिस्ट्री होने के बाद श्री कमलेश मीणा वरिष्ठ सहायक ने मुझे बुलाकर कहा कि प्रत्येक रजिस्ट्री का आधा प्रतिशत खर्चा लगता है, तुम्हारी रजिस्ट्री तीस लाख की है, तुम्हारे 15 हजार रूपये लगेगें। मैनें कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो वह बोला कि जब रजिस्ट्री लेने आवो तब पैसे लेकर ही आना। 2–3 रोज पहले उप पंजीयक कार्यालय में जाकर श्री कमलेश मीणा से मिला तो उसने कहा कि तुम पैसे लेकर आवोगे तभी तुम्हारी रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करवाउंगा, तभी तुम्हे रजिस्ट्री मिलेगी। मैं कमलेश मीणा को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी कमलेश मीणा से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन–देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

जितेन्द्र कुमार बाकोलिया पुत्र श्री सुरजमल वर्मा उम्र 40 साल
निवासी प्लॉट नम्बर ए–90, सुभाष कॉलोनी झिलाई रोड़ निवाई,
जिला टोंक मो. न. 9251872931

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 19.09.2022 समय 1.30 पी0एम0 को परिवादी जितेन्द्र कुमार बाकोलिया पुत्र श्री सुरजमल वर्मा उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नम्बर ए–90, सुभाष कॉलोनी झिलाई रोड़ निवाई, जिला टोंक मय अपने दोस्त श्री अजयराज उर्फ गौरव सैनी पुत्र श्री रमेश चन्द जाति माली निवासी ढाणी जुगलपुरा निवाई जिला टोंक के उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैनें एलएलबी कर रखी है तथा वर्तमान में उप पंजीयक निवाई में राजस्व से सम्बन्धित मामले देखता हुं। मैं जमीन के क्रेता व विक्रेता के मध्य सांमजस्य बैठाकर उनकी रजिस्ट्री करवाने में मैं उनकी मदद करता हुं। श्री सुनील कुमार शर्मा निवासी हनुमान नगर निवाई ने श्री दयाराम जाट निवासी हनुमान नगर निवाई से हनुमान नगर में ही स्थित एक मकान 30 लाख रूपये में मेरे मार्फत खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। जिस पर करीब 5–6 दिन पूर्व विक्रेता व क्रेता दोनों पार्टियों को बुलाकर रजिस्ट्री करवा दी थी। रजिस्ट्री होने के बाद श्री कमलेश मीणा वरिष्ठ सहायक ने मुझे बुलाकर कहा कि प्रत्येक रजिस्ट्री का आधा प्रतिशत खर्चा लगता है, तुम्हारी रजिस्ट्री तीस लाख की है, तुम्हारे 15 हजार रूपये लगेगें। मैनें कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो वह बोला कि जब रजिस्ट्री लेने आवो तब पैसे लेकर ही आना। 2–3 रोज पहले उप पंजीयक कार्यालय में जाकर श्री कमलेश मीणा से मिला तो उसने कहा कि तुम पैसे लेकर आवोगे तभी तुम्हारी रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करवाउंगा, तभी तुम्हे रजिस्ट्री मिलेगी। मैं कमलेश मीणा को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी कमलेश मीणा से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन–देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। " प्रार्थना पत्र परिवादी जितेन्द्र व उसके मित्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखा होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मैं पेशे से वकील हुं तथा वर्ष 2013 से उप पंजीयक निवाई में राजस्व से सम्बन्धित मामले देखता हुं। जमीन के क्रेता व विक्रेता के मध्य सांमजस्य बैठाकर उनकी रजिस्ट्री करवाने में मैं मदद करता हुं। श्री सुनील शर्मा, निवासी हनुमान नगर निवाई ने श्री दयाराम जाट निवासी हनुमान नगर निवाई से हनुमान नगर में ही स्थित एक भूखण्ड 30 लाख रूपये में मेरे मार्फत खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। जिस पर करीब 5–6 दिन पूर्व विक्रेता व क्रेता दोनों पार्टियों को बुलाकर रजिस्ट्री करवा दी थी। रजिस्ट्री में होने वाला कुल खर्च 2,64,300 रूपये भी जमा करवा दिये थे, परन्तु रजिस्ट्री होने के बाद श्री कमलेश मीणा वरिष्ठ सहायक ने मुझे बुलाकर कहा कि प्रत्येक रजिस्ट्री का आधा प्रतिशत खर्चा लगता है, तुम्हारी रजिस्ट्री तीस लाख की है, तुम्हारे 15 हजार रूपये लगेगें। मैनें कहा

अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो वह बोला कि जब रजिस्ट्री लेने आवो तब पैसे लेकर ही आना। दिनांक 16.09.2022 को मैं उप पंजीयक कार्यालय में जाकर श्री कमलेश मीणा से मिला तो उसने कहा कि तुम पैसे लेकर आवोगे तभी मैडम तुम्हारी रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करेगी तभी तुम्हे रजिस्ट्री मिलेगी। यह लोग आपस में मिलीभगत कर सभी रजिस्ट्री करवाने वालों से आधा–आधा प्रतिशत कमीशन लेते है, जबकि रजिस्ट्री से सम्बन्धित सारा खर्चा पूर्व में ही ऑनलाईन/ऑफलाईन ले लिया जाता है। मैं ऐसे रिश्वतखोरों को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ।" परिवादी ने स्वयं के आधार नम्बर 454673515592 बताते हुये, द बार कॉउसलिंग ऑफ राजस्थान का आईडी क्रमाक आर/1952/2013 की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही कमलेश मीणा से मिलकर रिश्वत की बात करूगा।" अतः कानि0 जलसिंह को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादीगण एवं जलसिंह को निवाई रवाना किया गया। **समय 4.30 पी0एम0 पर** श्री जलसिंह कानि0 248 मय परिवादी उप0 कार्यालय आया तथा वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। परिवादी जितेन्द्र ने बताया कि "मैं, गौरव उर्फ अजयराज तथा जलसिंह जी कानिस्टेबल एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय निवाई के पास पहुंचे, जहां पर जलसिह जी ने मुझे वॉयस रिकार्डर चालू कर दे दिया तथा वो बाहर ही खडे हो गये, मैं तथा गौरव वहां से रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय निवाई में चले गये, जहां पर कमलेश मीणा अपनी सीट पर बैठा हुआ मिला, उसके पास ओर भी लोग खड़े थे, इसलिये काफी समय तक हमारी आपस में वार्ता नहीं हो सकी। फिर हमने कमलेश मीणा से वार्ता कि तो कमलेश मीणा ने रजिस्ट्री देने के नाम से पहले 15 हजार रूपये की मांग की तथा फिर 2–3 हजार रूपये कम देने के लिए कहा, जिस पर मैनें 12 हजार रूपये की कहा तो उसने कहा कि 12 हजार नहीं लुगां या तो 12,500 रूपये दे या 11,500 रूपये दे। जिस पर मैनें 11,500 रूपये देने की हां करने पर वो 11,500 रूपये लेने हेतु सहमत हो गया है। उक्त समस्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में भी रिकार्ड हो गयी है। मैंने बाहर आकर वॉयस रिकार्डर जलसिंह जी को सुपुर्द कर दिया। जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा हम वहां से रवना होकर एसीबी चौकी आये है।" कानि0 जलसिंह ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। कानि0 द्वारा पेश वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना तो मांग सत्यापन होना पाया गया। जिस पर **समय 5.00 पी0एम0 पर** ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से कोषाधिकारी, कोष कार्यालय टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री महेश कुमार कानि0 17 को रवाना किया गया। **समय 5.15 पी0एम0 पर** तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री अंकित कुमार जैन हाल सहायक लेखाधिकारी एवं श्री कुलदीप आर्य सहायक लेखाधिकारी, कोष कार्यालय टोंक उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 5.30 पी0एम0 पर परिवादी जितेन्द्र कुमार बाकोलिया को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती

राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये एवं 500–500 रूपये के 13 डम्मी नोट सांकेतिक राशि 6500 रूपये कुल 11500 रूपये (6500 रूपये के डम्मी नोट सहित) प्रस्तुत किये। परिवादी ने बताया कि मैं गरीब आदमी हुं तथा पैसों की व्यवस्था नहीं हो सकी, मैं अधिकतम 5000 रूपये दे सकता हुं, इसलिये मैं 5000 हजार रूपये भारतीय मुद्रा के तथा 500–500 रूपये के 13 नोट कुल 6500 हजार रूपये के डम्मी नोट लाया हुं। चुकिं परिवादी के पास रिश्वत राशि के रूप में देने के लिए मात्र 5000 रूपये है तथा आरोपी ने 11,500 रूपये की डिमाण्ड की है, अतः परिवादी द्वारा पेश उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि0 चालक 375 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 11,500/–रूपये को परिवादी के शरीर पर पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए गणेश सिंह कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी जितेन्द्र को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल /कॉल करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 5.50 पी0एम0 पर कानि0 जलसिंह एवं सहपरिवादी श्री अजयराज को परिवादी की मोटरसाईकिल से श्री मोहम्मद जुनैद अख्तर है0का0 32 व अंकित कुमार जैन गवाह को हैड कानि0 की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मनोज कुमार है0का0 119, ईश्वर प्रकाश कानि0 256, महेश कुमार कानि0 17, अजीत सिंह कानि0 56, भूपेन्द्र कुमार एएओ एवं स्वतंत्र गवाह कुलदीप तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से निवाई के लिए रवाना होकर समय 6.30 पी0एम0 पर झिलाई रोड़ निवाई के पास पहुंचा, जहां पर लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 जलसिंह से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर उप पंजीयक कार्यालय रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के प्राईवेट वाहन से उसके पीछे–पीछे रवाना हुआ। समय 6.35 पी0एम0 पर परिवादीगण उप पंजीयक कार्यालय परिसर में घुसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान के अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये, निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम रहा। समय 6.37 पीएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार बाकोलिया ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी ने एक व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुये वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, हमें देखते ही उक्त व्यक्ति घबरा गया तथा अपनी सीट से खड़ा हो गया। उक्त व्यक्ति के सामने रखी टेबल पर 500–500 रूपये के कुछ नोट पड़े हुये दिखाई दिये। मैनें वॉयस रिकार्डर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया, परिवादी ने बताया कि यही कमलेश मीणा है, जिसने अभी–अभी मेरे से 11,500 रूपये रिश्वत के लिए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कमलेश मीणा पुत्र श्री सुखदेव मीणा उम्र 32 साल निवासी लाड़पुरा कॉलोनी टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) उप पंजीयक कार्यालय निवाई जिला टोंक होना बताया।" उक्त व्यक्ति को परिवादी से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि "मैनें इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है, इन्होनें अभी मेरे को पैसे देने की कोशिश की मगर मैनें इनसे कोई पैसे नहीं लिये है।" इस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि "कमलेश मीणा झुंठ बोल रहा है, मैं वकील हुं तथा उप पंजीयक कार्यालय में करवायी जाने वाली रजिस्ट्रीयों में क्रेता व विक्रेता की मदद करता हुं, मेरे मार्फत मेरे

मिलने वाले श्री सुनील शर्मा, निवासी हनुमान नगर निवाई ने श्री दयाराम जाट निवासी हनुमान नगर निवाई से हनुमान नगर में ही स्थित एक मकान 30 लाख रूपये में खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। जिस पर करीब 5–6 दिन पूर्व विक्रेता व क्रेता दोनों पार्टियों को बुलाकर रजिस्ट्री करवा दी थी। रजिस्ट्री होने के बाद श्री कमलेश मीणा वरिष्ठ सहायक ने मुझे बुलाकर कहा कि प्रत्येक रजिस्ट्री का आधा प्रतिशत खर्चा लगता है। आपकी रजिस्ट्री तीस लाख रूपये की है, आपके 15 हजार रूपये लगेगें। आज दिन में मैं जब इनके मिला तो इन्होनें 15 हजार रूपये की मांग की तथा 11,500 रूपये लेने के लिए राजी हुआ। इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी–अभी इनको 11,500 रूपये दिये है। जो इन्होनें अपने हाथ में लेकर गिनने लगा, तभी मैनें आपको मिस कॉल कर दिया। पैसे गिनते समय उसमें रखे डम्मी नोट को पहचान कर इसने पैसे टेबल पर ही पटक दिये तथा मुझे कहने लगा कि यह क्या है, इसी दौरान आप लोग आ गये।" इस पर पुनः आरोपी को तसल्ली देकर पूछा तो आरोपी कमलेश ने बताया कि "यह आज दिन में मेरे पास आया था तथा इनके कलाईंट श्री सुनील कुमार शर्मा, निवासी हनुमान नगर निवाई ने श्री दयाराम जाट निवासी हनुमान नगर निवाई से जो मकान खरीदा था, की रजिस्ट्री की मांग करते हुये, उसमें आने वाले खर्चे के बारें में पूछा तो मैनें मजाक–मजाक में ही इसे 15 हजार रूपये का खर्चा होना बताया था, इसने कम करने के लिए कहा तो मैनें 2–3 हजार रूपये कम देने के लिए कह दिया था, इसने 12 हजार रूपये देने के लिए कहा तो मैनें इसे 11,500 रूपये देने के लिए कहा था, मैनें यह मजाक में ही कहा था। मेरा रिश्वत लेने का उद्देश्य नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले जितेन्द्र तहसील कार्यालय में मेरे कमरे में आया तथा मुझे कुछ रूपये दिये, मैनें वह रूपये वापस जितेन्द्र को देने के लिए टेबल पर रख दिये थे।" आरोपी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि "क्या आप उक्त रिश्वत राशि किसी अन्य व्यक्ति को भी देते।" जिस पर वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। इसके बाद गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी कमलेश मीणा के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात् टेबल पर पड़ी हुयी 500–500 रूपये के नोटों को गवाह श्री अंकित जैन से उठवाकर गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 10 नोट 5000 रूपये, 500–500 रूपये के 13 डम्मी नोट 6500 रूपये कुल 11,500 रूपये होना पाये गये। जिनके नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5UB	342715
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6FD	385926
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7AL	444768
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9AM	075669
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6US	033407
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0LW	521315

7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1CL	170496
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1EE	595624
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3CF	622408
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8CF	637294
11.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
12.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
13.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
14.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
15.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
16.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
17.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
18.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
19.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
20.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
21.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
22.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850
23.	एक नोट 500 रूपये डम्मी नोट	DUK	616850

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी कमलेश मीणा की टेबल जिसके उपर से रिश्वत राशि बरामद हुयी उक्त टेबल के धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। टेबल के उक्त स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी को रूई के पोहे से साफ कर पोहे को उक्त तैयारशुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क सी–1, सी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रूई (कॉटन) को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–**सी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी कमलेश मीणा को परिवादी से सम्बनिधत रजिस्ट्री की प्रति पेश करने पर उसने अपनी टेबल पर रखी हुयी रजिस्ट्रीयों में से क्रेता श्री सुनील कुमार शर्मा की रजिस्ट्री पेश की। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से उप पंजीयक कार्यालय निवाई से रवाना होकर पुलिस थाना निवाई पहुंचे तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की। परिवादी से सम्बन्धित रिकार्ड को देखकर आरोपी कमलेश मीणा ने बताया कि "खसरा नम्बर 1404–1408 हनुमान नगर एफसीआई गोदाम के सामने कस्बा निवाई में स्थित भूखण्ड संख्या 270 को श्री दयाराम जाट ने श्री सुनील कुमार शर्मा को विक्रय किया था, जिसकी इन्होनें श्री जितेन्द्र कुमार बाकोलिया वकील के मार्फत दिनांक 16.09.2022 को रजिस्ट्री करवायी थी, रजिस्ट्री 30 लाख रूपये की है, इसलिये तहसीलदार मैडम को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण करना था, आज मैडम ने मौका निरीक्षण कर लिया है। अब मैं मैडम से हस्ताक्षर करवा कर इन्हें यह रजिस्ट्री दे देता।" पत्रावली के अवलोकन से उक्त रजिस्ट्री हेतु दिनांक 12.09.2022 को नियमानुसार 2,64,300 रूपये जमा करवाये जा चुके थे, तथा दिनांक 16.09.2022 को रजिस्ट्री पंजीयन भी हो चुकी है, उक्त मकान की मालिकियत 25 लाख रूपये से अधिक होने से दिनांक 19.09.2022 को तहसीलदार निवाई ने मौका

निरीक्षण कर लिया है, परन्तु मौका निरीक्षण के पश्चात् तहसीलदार निवाई के हस्ताक्षर नहीं है, सम्भवतया रिश्वत राशि लेने के पश्चात् ही उक्त हस्ताक्षर करवाये जाते है। इसी दौरान श्री रामकिशन पुत्र श्री नाथूलाल वर्मा उम्र 45 निवासी गली नम्बर 12 शिवाजी नगर, निवाई हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय निवाई मो0न0 9166906188 उपस्थित आये। जिन्हें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय दिया। परिवादी से सम्बन्धित रजिस्ट्री से सम्बन्धित दस्तावेजात की फोटोप्रति करवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल दस्तावेज आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री रामकिशन एएओ को सुपुर्द किये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। **09.45 पी0एम0 पर** आरोपी श्री कमलेश मीणा, वरिष्ठ सहायक (रीडर) उप पंजीयक कार्यालय निवाई जिला टोंक को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 10.05 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी कमलेश मीणा एवं समस्त जब्तशुदा आर्टिकल्स को साथ लेकर पुलिस थाना निवाई से आरोपी के रिहायशी मकान हेतु रवाना होकर समय 10.15 पीएम पर भगतसिंह कॉलोनी स्थित आरोपी के किराये के कमरे पर पहुंचा, जहां पर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब कर समय 10.45 पीएम पर एसीबी चौकी के लिए रवाना **समय 11.30 पी0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमाराहियान के एसीबी चौकी पहुंचा। **समय 11.45 पी0एम0 पर** सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांससक्रिप्ट श्री महेश कुमार कानि0 17 से टाईप करवाकर तैयार की गई। **समय 02.00 ए0एम0 पर** रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 19.09.2022 को परिवादीगण व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादीगण व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री महेश कुमार कानि0 17 से टाईप करवाकर तैयार की गई। **समय 2.30 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। **समय 2.40 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 2.50 ए0एम0** स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया, **समय 03.05 ए0एम0 पर** ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स बतौर वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। समय 3.15 ए0एम0 रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 6.15 ए0एम0 पर मन् आई0ओ0 परिवादी व गवाहान को हमराह लेकर मय स्टाफ मय सरकारी वाहन घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु रवाना हुआ। समय 7.00 ए0एम0 पर मन् आई0ओ0 मय हमराहियान के उप पंजीयक कार्यालय निवाई पहुंचा तथा गवाहान की

मौजूदगी में परिवादीगण की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा–मौका घटनास्थल मुर्तिब कर एसीबी चौकी टोंक रवाना होकर समय 8 एएम पर पहुंचा। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री कमलेश मीणा, वरिष्ठ सहायक (रीडर) उप पंजीयक कार्यालय निवाई जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार बाकोलिया के कलाईंट श्री सुनील शर्मा, निवासी हनुमान नगर निवाई के खरीदशुदा मकान की रजिस्ट्री देने की एवज में वक्त मांग सत्यापन 15 हजार रूपये की मांग कर 11,500 रूपये लेना तय किया तथा अपनी मांग के अनुसरण में दौरानें ट्रेप कार्यवाही 11,500 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में ग्रहण कर स्वयं की टेबल पर पटकना पाया गया, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनों हाथों एवं टेबल के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री सुखदेव मीणा उम्र 32 साल निवासी लाड़पुरा कॉलोनी टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) उप पंजीयक कार्यालय निवाई जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कमलेश मीणा, वरिष्ठ सहायक (रीडर) उप पंजीयक कार्यालय निवाई, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 370/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3211-15 दिनांक 20.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

20.09.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।